

Øekad	fo"k; oLrq	i" B
PartI	अधिनियम	
	dqN ughaA	
PartII	v/;kns'k	
	dqN ughaA	
PartIII	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसचना संख्या का०आ० 76/ह०अ० 6/2016/धा० 17/2022. दिनांक 22 सितम्बर. 753—754	
	-हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2022	
PartIV	षुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	dqN ughaA	

(lxxxvii)

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 27, 2022 (ASVN. 5, 1944 SAKA)

753

Part&III

gfj;k.kk ljdkj

उद्योग तथा वाण्िाज्य विभाग

notification

fnukad 22 flRkEcj] 2022

la[;k dkåvkå 76@gåvå 6@2016@/kkå 17@2022.—हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) कीधारा 17 द्वारा प्रदत्त शर्ियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति नियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1- ये नियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
- 2- हरियाणा उद्यम प्रोन्नति नियम, 2016 में, नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापितfd;k tk,xk] vFkkZr~ %&

"(1) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड के तत्वावधान में कार्यरत सशक्त कार्यकारी समिति (ईईसी) निम्नलिखित सदस्यों सेमिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

Øe la[;k	ब्यौरे	inuke
1-	eq[;eU=h ds çeq[k lfpo	v/;{k
2-	प्रशासकीय सचिव, उद्योग तथा वाण्िाज्य विभाग	lnL; ,oa eq[; dk·Zdkih अधिकारी
3-	प्रशासकीय सचिव, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग	lnL;
4-	प्रशासकीय सचिव, पर्यावरण विभाग	lnL;
5-	प्रशासकीय सचिव, वन विभाग	lnL;
6-	प्रशासकीय सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	lnL;
7-	प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग	lnL;
8-	प्रशासकीय सचिव, जन स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी विभाग	lnL;
9-	प्रशासकीय सचिव, विद्युत विभाग	lnL;
10-	प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	lnL;
11-	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग	lnL;

12-	प्रशासकीय सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग	lnL;
13-	प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास विभाग	lnL;
14-	महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य	lnL;A”A

आनंद मोहन शरण,
 vij eq[; lfpo] gfj;k.kk ljdkj]
 उद्योग तथा वाणिज्य
 विभाग।

